कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग
श्रीनगर मु0– कीर्तिनगर

UTTARAKHAND

Phone no./Fax no. 01370-260070 **E.mail- eepwdkirtinagar@rediffmail.com**

पत्रांक 674 /33 सी दिनांक 30 /06/2020

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
टिहरी वन प्रभाग
नई टिहरी।

विषय :– जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अंतर्गत चौण्ड़ी, भदली, घटधार, थानकोट, घेरा होते हुए ग्राम सिमलासू बैण्ड़ तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (लम्बाई 5.275 कि0मी0)। (FP/UK/ROAD/35909/2018)

महोदय,

उपरोक्त विषयक क्रम में अवगत कराना है कि उक्त प्रस्ताव पर आप द्वारा दिनांक 22.02.2020 को ऑन लाईन आपत्ति लगाई गई है, जिसका निराकरण निम्नवत किया जा रहा है।

अतः महोदय से निवेदन है कि प्रस्ताव पर अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

Sl. No.	User agency againt E.D.S.	E.D.S. Reply
1	2	3
1	राज्य सरकार लाभान्वित होने वाले ग्रामों की location KML file पर अंकित करें तथा प्रस्तावित मार्ग के निर्माण हेतु उपलब्ध Road Network के सापेक्ष उचित Justification इस कार्यालय को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।	जस्टिफिकेशन संलग्न है।

संलग्न – **पत्र एक पृष्ट ।**

30/06/2020
अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0,लोक निर्माण विभाग
श्रीनगर मु0– कीर्तिनगर

O/C

J:\cfrbackup-FWZYHPHQ\21-11-2019\pendrive\card reader\Chaundi Bhadli\EDS New.doc

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग
श्रीनगर मु0– कीर्तिनगर

UTTARAKHAND

Phone no./Fax no. 01370-260070 E.mail- eepwdkirtinagar@rediffmail.com

पत्रांक ~~679~~ 645 / 33 सी दिनांक 30/06/2020

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
टिहरी वन प्रभाग
नई टिहरी।

विषय :– जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत चौण्ड़ बैण्ड़ से भदली घटधार थानकोट घेरा होते हुये सिमलासू बैण्ड़ तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.052 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (FP/UK/ROAD/35909/2018)

सन्दर्भ – आपका पत्रांक 2186 / FP/UK/ROAD/35909/2018 देहरादून दिनांक 14.02.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयक मोटर मार्ग के वन भूमि प्रत्यावर्तन क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्रांक 8वी0 / यू0सी0पी0 / 06 / 28 / 2019 / एफ0सी0 / 962 दिनांक 02.08.2019 द्वारा कुछ आपत्तियां लगाई गई थी। जिनका निराकरण इस कार्यालय के पत्रांक 81 / 33सी0 दिनांक 17.01.2020 द्वारा कर दिया गया था। उपरोक्त के बावजूद अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोड़ल अधिकारी देहरादून के कार्यालय पत्रांक 8वी0 / यू0सी0पी0 / 06 / 26 / 2019 / एफ0सी0 / 962 दिनांक 02.08.2019 के पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि यह उत्तर पूर्व में भारत सरकार को प्रेषित किया गया था, जिसे भारत सरकार द्वारा नहीं माना गया है। जबकि भारत सरकार के0एम0एल0 पर गांवों की लोकेशन एवं जस्टिफिकेशन हेतु लिखा गया है जबकि विभाग द्वारा पुनः प्रेषित कर दिया गया है।

अतः उपरोक्त के बारे में अवगत करना है कि पहाड़ की विषम भौगोलिक स्थिति को देखते हुए एवं समानान्तर मार्ग का दूसरे मार्ग से लगभग 973 फिट का उच्चता अन्तराल एवं 1.50 से 2.00 कि0मी0 की इन्कालाईन्ड़ दूरी किसी भी मार्ग के निर्माण हेतु प्रयाप्त जस्टिफिकेशन है। इसके अतिरिक्त उक्त मार्ग के निर्माण हेतु जस्टिफिकेशन दिया जाना सम्भव नहीं है। इस मार्ग के निर्माण से चौण्ड़ी, भदली, थानकोट, घेरा गांव की लगभग 1000 आबादी लाभान्वित होगी। कृपया उपरोक्त दृष्टिगत मार्ग की सैद्धान्तिक स्वीकृति दिलवाने हेतु अवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करगें।

30/06/2020
(इं0 सतीश भट्ट)
अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0,लोक निर्माण विभाग
श्रीनगर मु0– कीर्तिनगर